



## राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 3(13)गृह-1 / 24पार्ट(22129)

जयपुर, दिनांक:—हस्ताक्षरित दिनांक

### आज्ञा

राजस्थान विधि विज्ञान सेवा की अधिकारी डॉ० आम्रपाली सिन्हा, सहायक निदेशक (सीरम), क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर, जिनकी राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.06.1999 है एवं जन्म तिथि 02.04.1965 है, ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के तहत दिनांक 13.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.01.2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 के अन्तर्गत डॉ० आम्रपाली सिन्हा, सहायक निदेशक (सीरम) को दिनांक 31.01.2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० आम्रपाली सिन्हा के विरुद्ध आज दिनांक तक :—  
(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(2) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(3)कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1.निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
- 2.निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3.सम्बन्धित अधिकारी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
- 4.वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करने हेतु।
- 5.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस



संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112, प्रथम तल मुख्य भवन शासन सचिवालय, जयपुर  
Tel. No. -0141-2227294 IP-2820457/Ext.-22325,22324 E-mail home.police@rajasthan.gov.in